

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 12/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह
मै० सागरवाला, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

-दूध विक्रेता-

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय

दिनांक : 17.05.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:-आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.10.2023 को दोपहर पूर्व 10.50 बजे का मै सदभावना नगर, इन्डेन एजेंसी, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह (दूध विक्रेता), सदभावना नगर, इन्डेन एजेंसी, श्रीगंगानगर पर एक कैन में दूध ले जा रहा था। दूध के बारे में जानकारी चाही गई तो गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह (दूध विक्रेता) ने एक कैन में लगभग 35 लीटर गाय का दूध होना आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। गाय का दूध में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते गाय का दूध का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5 ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।



अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आमजन के विक्रय हेतु ले जा रहे एक कैन में से दूध को हिला मिलाकर (एकरूप कर) गांय का दूध 2 लीटर साफ सुथरे स्टील के बर्तन में विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा गाय का दूध का नगद भुगतान 90/- रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गाय का दूध 2 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2039 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2039 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S./1668/Act/2023/1668 Dated 25-01-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2039 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह मै0 सागरवाला, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गाय का दूध का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन आवेदन दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।




अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी गांव सांगरवाला तहसील व श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी के नाम गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह दुध विक्रेता सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 2023/1646-47 दिनांक 05.12.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में गाय का दुध की जांच की गई तो गाय का दुध **Sub- Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय का दुध में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का दूध का सैम्पल **K-2039** जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S./1668/Act/2023/1668 Dated 25-01-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।


अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गांव सांगरवाला तहसील व श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी के नाम गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह दुध विक्रेता सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 2023/1646-47 दिनांक 05.12.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में गाय का दुध की जांच की गई तो गाय का दुध **Sub- Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय का दुध में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Cow Milk" bearing Code No and Sr. No. K-2039, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006





अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000-00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में गोपाल सिंह पुत्र श्री राज सिंह खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
अति. जिला श्रीगंगानगर प्रशासन
श्रीगंगानगर (राजस्थान)